

8.11
19/09/19
3281
C.E (Hd) / E.E (IT) website पर साइट देस
के-
19/9
प्रमुख अभियन्ता
लो. नि. वि.

उत्तराखण्ड शासन
लोक निर्माण अनुभाग-2
संख्या-3297 III (2) / 19-26(सामान्य) / 2019
देहरादून : दिनांक 19 सितम्बर, 2019

MD लि. 20/09/19

शुद्धि पत्र

श्री राम

20/9

लोक निर्माण विभाग में राज्य सेक्टर के अन्तर्गत स्वीकृत (नाबार्ड से वित्त पोषित योजनाओं सहित) रू0 5.00 करोड़ से अधिक लागत के कार्यों की गुणवत्ता का मूल्यांकन श्री राम कन्सल्टैन्ट प्रा0लि0 से कराये जाने के निर्णय के क्रम में शासनादेश संख्या-3086/III(2)/19-26(सामान्य)/2019 दिनांक 05 अगस्त, 2019 द्वारा आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये थे।

2- उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 05 अगस्त, 2019 के प्रस्तरों में उल्लिखित संस्थान का नाम "श्री राम कन्सल्टैन्ट प्रा0लि0" के स्थान पर "श्रीराम इंस्टीट्यूट फॉर इन्डस्ट्रियल रिसर्च" पढा जाए।

3- शासनादेश दिनांक 05 अगस्त, 2019 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए।

1042
SSO-II

(एस0एस0 टोलिया)
संयुक्त सचिव

20-9-19
अधीक्षक
मुख्य अभियन्ता
III(2) / 19-26(सामान्य) / 2019 तददिनांकित।
मुख्य अभियन्ता लिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अनुसचिव, लोक निर्माण अनुभाग-3, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. श्री ए0के0 भटनागर, सीनियर मैनेजर, श्रीराम इंस्टीट्यूट फॉर इन्डस्ट्रियल रिसर्च, नई दिल्ली को उनके पत्र दिनांक 11.09.2019 के क्रम में।
4. समस्त मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

IT head

(जीवन सिंह)
उप सचिव

21.09.19

वन्दन सिंह नेगी
अधिशासी अभियन्ता

248

21/09/2019

उत्तर

R.C.